

## न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

एल0आर0 अपील संख्या :-302/2020/भीलवाड़ा

1. रतन पुत्र मांगू
  2. धन्नी पुत्री मांगू
- समस्त जाति भील निवासीगण मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा

-अपीलांटस

### बनाम

1. श्रीमती पुनम प्रजापति पत्नि एम0एल0प्रजापति निवासी बापू नगर, भीलवाड़ा हाल निवासी सी-24, एम0डी0कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
2. रामपाल पुत्र फूलचन्द टेलर निवासी सांगानेर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

-रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 19.02.2020 जो कि अपील संख्या 81/2017 में पारित किया गया।

### उपस्थित अभि0:-

1. अपीलांट अभि0- श्री एम0एल0गुर्जर
2. रेस्पोंडेंट अभि0-श्री लेघू मंघानी-1
3. राजकीय अभि0-श्री आकाश पारिक

### निर्णय

दिनांक:-29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मलाण तहसील व जिला भीलवाड़ा में खसरा संख्या 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 505 रकबा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 507 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 508 रकबा 3 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा मांगू भील निवासी मलाण की खातेदारी में थी। मांगू भील की विरासत हरि बेवा मांगू व रतन पुत्र मांगू के नाम दर्ज की। हरि बेवा मांगू के निधन के बाद विरासती नामांतरण 1397 तहसीलदार भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 12.11.2016 से अपीलांटस के नाम स्वीकार किया गया।

नामांतरण संख्या 1397 दिनांक 12.11.2016 से व्यथित होकर रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा न्यायालय ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रतन पुत्र मांगू व हरि बेवा मांगू ने विवादित भूमि के आवासीय भूखण्ड काटकर भूखण्ड संख्या 38,41,43,45,48, 42,44,37 एवं 49 कुल 13 भूखण्ड रेस्पोंडेंट संख्या 2 को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने आगे चलकर अपने स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 40,41,45 एवं 46 कुल 4 भूखण्ड रेस्पोंडेंट संख्या 1 को बेचान कर दिया। वर्तमान में रेस्पोंडेंट संख्या 1 काबिज है। रेस्पोंडेंट 1 की अपील प्रकरण संख्या 81/2017 के रूप में न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा में दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 19.02.2020 से रेस्पोंडेंट की अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार स्वीकृत नामांतरण संख्या 1397 निर्णय दिनांक 12.11.2016 को अपास्त कर दिया तथा प्रकरण को पुनः मौके की स्थिति जांच कर उभयपक्षों की सुनवाई

करके नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में पुनः नामांतरण कर पुनः पारित करने के आदेश दिये गये। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की गई है—

1. रेस्पोंडेंट संख्या 1 व्यथित पक्षकार नहीं है। क्योंकि वे अमजिस्ट्रेट विक्रय पत्र के आधार पर आये है।
2. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट 1 के द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत की गई।
3. अपील निस्तारण से पूर्व प्रार्थना पत्रों का निस्तारण आवश्यक है।
4. वर्तमान अपीलांत अनुसूचित जनजाति से है तथा रेस्पोंडेंट गैर अनुसूचित है तथा ऐसे मामलों में भूमि का हस्तानांतरण नहीं किया जा सकता है।
5. जिला कलक्टर भीलवाड़ा का निर्णय आरटीए,एलआरएक्ट , रेवन्यु कोर्टस मैनुअल, पंजीयन अधिनियम एवं सीपीसी के आज्ञापक प्रावधान के विपरीत है। अंत में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 19.02.2020 को निरस्त करते हुए तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 1397 दिनांक 12.11.2016 को बहाल किया जायें।

अपील के साथ अपीलांत द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया। स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निवेदन किया कि अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर भूमि का हस्तानांतरण अनुसूचित जनजाति वर्ग से गैर अनुसूचित जनजाति के वर्ग को नहीं किया जा सकता है। जिला कलक्टर के निर्णय की पालना यदि हो जाति है तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविध का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.02.2020 की पालना को स्थगित रखा जाये तथा विवादित भूमि के मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जायें। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.02.2020 का है। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 30.06.2020 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। कोरोना अवधि में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मियाद अवधि बाबत शिथिलीकरण किया गया था। अतः अपील को सुप्रीम कोर्ट निर्णय में दी गई व्यवस्था के अनुसार अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांत एवं वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांत ने बताया कि नामांतरण संख्या 1397 से भी हरि बेवा मांगू के नाम दर्ज हुई थी। वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहां नामांतरण संख्या 1397 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। 90बी की कार्यवाही हो चुकी है। मकान बने हुए है। जिला कलक्टर द्वारा नामांतरण संख्या 1397 अपास्त कर दिया है और पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार के यहां भेजा हुआ है। यह द्वितीय अपील है। रामपाल पुत्र फूलचन्द टेलर से पूनम द्वारा प्लॉट क़य करना बताया है। जबकि रामपाल खातेदार नहीं है। मूल खातेदार रतन पुत्र मांगू है। पूनम के पास अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। लॉअर कोर्ट में मियाद बाहर अपील की है। आरबीजे 2010 पेज 289 तीन दिन की देरी को भी नहीं माना गया। रतन और हरि द्वारा कोई बेचान नहीं किया गया। पूनम ने रामचन्द्र पुत्र फूलचन्द से अनुतोष मांगा। बहस में रेस्पोंडेंट अभिभाषक ने बताया कि भूमि शहरी क्षेत्र सुभाषनगर में भीलवाड़ा शहर में स्थित है। भूमि मांगू की है। मांगू की मृत्यु के बाद भूमि हरि बेवा मांगू और रतन पुत्र मांगू के

नाम दर्ज हुई। रतन और हरि ने मिलकर कृष्णानगर कॉलोनी काटी है जिसकी 90 हो रखी है। विवादित भूमि अब कृषि भूमि नहीं रही है। रामपाल ने रतन हरि से 13 भूखण्ड खरीदे। रामपाल से पूनम ने 4 प्लॉट खरीदे। यूआईटी में नियमन की पत्रावली लगायी गई। मकान बनाये। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि में सड़क, नालीयां मकान बने हुए हुए है। हरि की मृत्यु के बाद पुनः विरासत खोली गई तथा रतन और धनी(पुत्री) के नाम नामांतरण हुआ। भूमि बेचान की जा चुकी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हिन्दु उत्तराधिकार वर्ग पर लागू नहीं है। जिसमें बेटी का हक नहीं है। हमारी आपत्ति को जिला कलक्टर ने माना है। दिनांक 10.07.1999 को 90ए के साथ 90बी जोड़ा गया था। परिपत्र दिनांक 04.12.1999 से धारा बी में संशोधन किया गया। अपील खारिज की जायें। बहस बिन्दुओ पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा के निर्णय उनके निर्णय के अनुसार "वादग्रस्त भूमि ग्राम मलाण तहसील भीलवाड़ा नगर परिषद की शहरी क्षेत्र कृष्णानगर में स्थित है। अपीलांट द्वारा लेआउट प्लान की फोटोप्रति प्रस्तुत की है। उसके अनुसार प्रतीत होता है कि मूल खातेदार रतन पुत्र मांगू व मु0 हरि बेवा मांगू ने खसरा नम्बर 503 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 505 रकबा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 507 रकबा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 508 रकबा 3 बीघा भूमि पर कृष्णानगर की स्थापना की तथा इस पर भूखण्ड काटे है। अपीलांट ने भूखण्ड संख्या 40 क्षेत्रफल 25 गुणा 40, भूखण्ड संख्या 41 क्षेत्रफल 25 गुणा 40, भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 25 गुणा 40, भूखण्ड संख्या 46 क्षेत्रफल 25 गुणा 40 कुल भूखण्ड जरिये इकरारनामा कय किये है तथा इस पर निर्माण कर बिजली का कनेक्शन लिया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग लिया है। पक्षकारों के बीच वादग्रस्त भूमि के न्यायालय में दावे व फौजदारी इस्तगा से विचाराधीन है। वर्तमान में उपजिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा इस भूमि पर रिसीवर भी नियुक्त किया है। इस प्रकार मामला पूरा विवादित होने पर भी तहसीलदार भीलवाड़ा ने भूखण्ड धारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मौके की स्थिति देखे बिना नामांतरण पर आदेश पारित कर दिया। जबकि वादग्रस्त भूमि कृषि प्रयोजन न होकर अकृषि प्रयोजन में होने से नियमों के प्ररिप्रेक्ष्य में तहसीलदार भीलवाड़ा को नामांतरण संख्या 1397 में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनकी बेटी को मृतक की सम्पत्ति में हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। पटवारी हल्का के मौका पर्चा दिनांक 11.05.2017 के अनुसार आराजी संख्या 505 और 508 में मौके पर पक्के मकान व सड़के बनी होना अंकित किया है तथा खसरा नम्बर 505 व 508 के संबंध में एलआरएक्ट की धारा 90ए के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 16.08.2013 से ही प्राधिकृत अधिकारी यूआईटी भीलवाड़ा ने लोकसूचना जारी करके आवासी भूखण्ड के पट्टे भी जारी किये है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी का कृषि से अकृषि उपयोग विरासत नामांतरण की कार्यवाही से पूर्व किया है।

मांगू की मृत्यु के बाद विरासत का नामांतरण मृतक की बेवा हरि व मृतक के पुत्र रतन के नाम खोला गया है। उस समय मृतक की बेटी धनी पुत्री मांगू का नाम विरासती नामांतरण में नही किया गया है। जब मृतक की बेवा का देहांत हुआ तो विरासत के नामांतरण में बेटे के साथ बेटी का नाम दर्ज कर दिया गया।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील को मियाद बाहर होना बताया है। जबकि अनेकाअनेक न्यायिक दृष्टांतों में यह व्यवस्था दे दी गई है कि एक बार जब अपील में अधीनस्थ न्यायालय में अंदर मियाद मान लिया जाता है तो अपील न्यायालय को मियाद के उपर विचार नही करना चाहिए। विवादित भूमियों के संबंध में तहसीलदार द्वारा 175,177 आरटीए के तहत उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा समक्ष प्रकरण संख्या 356/2017 दर्ज करवाया गया था। इस बाबत वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में बताया कि उक्त वादपत्र उपखण्ड अधिकारी

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर निर्णय करते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 175 व 177 को विधि विरुद्ध होने से खारिज कर दिया। पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त निर्णय के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि भूमि अब अपीलांतगण के नाम दर्ज नहीं रही है। भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई है। अब अपीलांत का कोई हिस्सा उक्त खसरा नम्बरों में नहीं रहा है। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में खारिज योग्य है।

समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियां सर्वप्रथम मांगू के नाम दर्ज थी। उसकी विरासत के बाद उसकी पत्नि हरि और और उसके पुत्र रतन के नाम दर्ज हुई। उक्त दोनो के द्वारा विवादित भूमियों पर कृष्णानगर नाम से भूखण्ड काटकर विक्रय किया था। उक्त दोनो से रामपाल द्वारा खरीद किये गये थे। उनमें से दो प्लॉट पूनम का विक्रय किये गये। यूआईटी भीलवाड़ा द्वारा आवासीय भूखण्ड के पट्टे 90ए के तहत काटे जा चुके हैं। यह होने के बाद दिनांक 12.11.2016 को रतन एवं धनी के नाम नामांतरण संख्या 1397 में खोला गया। बाद में इनके द्वारा भी उक्त भूमियां अन्य व्यक्तियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की है। वर्तमान में भूमि पर मकान सड़के आदि बने हुए हैं। अब भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांत को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

### क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांत खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 81/2017 उनवानी श्रीमती पूनम प्रजापति बनाम रतन एवं अन्य विरुद्ध नामांतरण संख्या 1397 दिनांक 12.11.2016 द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
अजमेर